राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
Rajasthan Public Service Commission , Ajmer

RIGHT TO INFORMATION

Web. Site : www.rpsc.rajasthan.gov.in Tel. 0145-2627643

Application No. 167589932228274 दिनांक :–

Applicant Name- Sufiya

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत्।
संदर्भः– आयोग कार्यालय में प्राप्त आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

प्रश्न सं.	प्रत्युत्तर
01	आयोग द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु प्रथम बार विज्ञापन दिनांक 05.08.2019 को जारी किया गया था जो कि आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर इलेक्ट्रोनिक रूप से संधारित है। आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विज्ञापन का अवलोकन आयोग की वेब–साईट पर कर वांछित सूचना स्वयं प्राप्त करें।
"सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत् आपको प्रेषित प्रत्युत्तर की दिनांक से 30 दिवस में अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते है।"	

अनुभाग अधिकारी
परीक्षा आयोजना–प्रथम

22.07.2026

राज्य लोक सूचना अधिकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
Rajasthan Public Service Commission, Ajmer

RIGHT TO INFORMATION

Tel: 0145- 2627241 web site: www.rpsc.rajasthan.gov.in

क्रमांक F19(200)Research/RTI/RPSC/2026-27 **दिनांक**

Application No- 167589932228274
Sufiya S/o Imitiyaz Ali
Add.- near moharram ki chowki sarvodaya basti, Teh- Bikaner, Bikaner, pin- 334001

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुभाग में प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2026 के सन्दर्भ में।

आप द्वारा चाही गई वांछित बिन्दु संख्या 02 (आंशिक) का प्रत्युत्तर निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	आयोग का प्रत्युत्तर
2. (आंशिक)	Regarding FSO- Please provide syllabus of examination held for this appointment.	Food Safety Officer प्रतियोगी परीक्षा–2019 एवं 2022 का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे प्रार्थी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (क) के अंतर्गत अवलोकन कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत् प्रथम अपील अधिकारी, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 30 दिवस में अपील किये जाने का प्रावधान है। सूचित रहे।

सहायक निदेशक,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग
Rajasthan Public Service Commission
जयपुर रोड़, अजमेर – 305001
Jaipur Road, Ajmer - 305001
RIGHT TO INFORMATION
Tel. 0145-2635241
Web. Site : www.rpsc.rajasthan.gov.in

ONLINE/RTI/167589932228274/RPSC/2026-27/ दिनांकः–

SUFIYA

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के पदों की भर्ती के संबंध में।

सन्दर्भ :– आपका ऑनलाईन प्रार्थना पत्र क्रमांक–**167589932228274** दिनांक 10.07.2026 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्या	प्रत्युत्तर
02 एवं 03	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत संधारित सूचना ही उपलब्ध कराई जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं विभाग के पदों पर भर्ती हेतु आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापन दिनांक 05.08.2019 को जारी किया गया था। अतः आप द्वारा वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत आपको प्रेषित प्रत्युत्तर की दिनांक से 30 दिवस में अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुभाग अधिकारी
भर्ती 'ख' अनुभाग

लोक सूचना अधिकारी
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
Tel : 0145-2627643
Email: rpsc@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ 23(167589932228274) Rect/Secret/Online RTI / 26–27 / दिनांक :
Applicant - SUFIYA

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जानकारी बाबत्।
सन्दर्भ :– RTI App. No. 167589932228274, आवेदक – SUFIYA

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि:–

बिन्दु संख्या : 03

आप द्वारा आर.टी.आई. आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या का उल्लेख नहीं किया है। वांछित सूचना अस्पष्ट होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत आपको प्रेषित प्रत्युत्तर की दिनांक से 30 दिवस में अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुभाग अधिकारी

उप सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी